

दिनांक 28.8.2009 को आयोजित नगर निगम की
साधारण बैठक में माननीय सदन द्वारा स्वीकृत नीति।

विषय:- पानी के नए कुनैक्शनों को स्वीकृत किए जाने बारे

उपरोक्त विषय बारे माननीय निगम सदन द्वारा गत वर्ष निम्नानुसार विभिन्न निर्णय लिए गए:-

1. माननीय सदन की बैठक दिनांक 30.1.08 से पूर्व शिमला शहर में पूर्व प्रचलित प्रणाली के अनुरूप प्रत्येक भवन में एक पानी का कुनैक्शन भवन स्वामी को तथा किराएदारों को भवन स्वामी द्वारा दी गई सहमति/शपथ पत्र दिए जाते थे बशर्त किरायेदार का नाम नगर निगम के कर विभाग में दर्ज हो। इसके अतिरिक्त फ्लैट मालिकों को भी अलग से कुनैक्शन दिए जाते थे। होटल मालिक के लिए दो पानी के कुनैक्शन व्यवसायिक दर पर और एक कुनैक्शन होटल मालिक को रिहायश हेतु घरेलू दर पर दिया जाता था यदि होटल मालिक की रिहायश होटल में हो।
2. माननीय सदन पूर्व प्रचलित प्रथा से सहमत न था इसलिए निगम प्रस्ताव संख्या 4(1)8 दिनांक 30.1.08 द्वारा श्री महेन्द्र सिंह चौहान पार्षद की अध्यक्षता में पानी के कुनैक्शनों को स्वीकृत किए जाने बारे समीति का गठन किया गया तथा गठित समीति द्वारा दिनांक 25.2.08 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा माननीय सदन द्वारा उसे स्वीकृत किया गया, किन्तु गठित समीति द्वारा दिनांक 30.1.08 को लिए गए निर्णय के अनुरूप निगम अभियन्ता से दिचार विर्मश/तकनीकी राय न लिए जाने के परिणामस्वरूप तकनीकी कमियों के कारण मामला पुनः निगम सम्मुख लाया गया, जिस पर निगम ने पस्ताव संख्या 3(19) दिनांक 31.3.2008 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे समीति की सिफारिशें खत्म हो गई।

3. निगम प्रस्ताव संख्या 5(1) दिनांक 28.7.2008 में यह मामला पवाइंट आफ आर्डर के समय पुनः उठाया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक भवन में पानी के दो कुनैक्शन भवन स्वामी के नाम पर दिए जाएं कार्यवृत्त की पुष्टि करते समय यह संशोधन किया गया कि एक भवन में पानी के दो ही कुनैक्शन दिए जाएं चाहे दोनों कुनैक्शन भवन स्वामी के नाम हो अथवा भवन स्वामी चाहे तो एक कुनैक्शन किराएदार के नाम भी ले सकता है।
4. इस नीति के निर्णय के कार्यान्वयन पर बाधा उत्पन्न होने के कारण मामलों को निपटाने में विलम्ब होने से मामले पर निगम प्रस्ताव संख्या 2(10) दिनांक 30.1.09 द्वारा पुनः निर्णय लिया गया कि उपरोक्त सभी निर्णयों को निरस्त किया गया और पानी के कुनैक्शन देने के लिए पुरानी नीति को अपनाया जाए।

शहर में पानी की दिन प्रतिदिन बढ़ती मांग के दृष्टिगत कुनैक्शनों को स्वीकृत किए जाने की प्रचलित नीति में निम्न प्रावधानों को शामिल/स्वीकृत किए जाने की नितान्त आवश्यकता है:-

- 1). एक भवन में दो कुनैक्शन प्रदान किए जाएंगे। जिसमें से दोनों कुनैक्शन मालिक के नाम अथवा एक मालिक और एक किराएदार के नाम (मालिक की सहमति/शपथ पत्र के आधार पर) निम्नलिखित शर्तों पर दिए जाएंगे:

- क) भवन में दूसरा पानी का कुनैक्शन तभी दिया जाएगा जब भवन स्वामी अपने भवन का सम्पूर्ण नक्शे का स्वीकृति पत्र इस विभाग में अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करेगा, तथापि दूसरा कुनैक्शन तभी दिया जाएगा जब उक्त भवन का सम्पूर्ण नक्शा सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया हो।
- ख) यदि सम्पूर्ण भवन एक ही भवन स्वामी के नाम है तथा कोई भी फ्लैट अथवा मंजिल बेची नहीं गई है, और यदि ऐसा किया गया है तो कोई भी दूसरा पानी का कुनैक्शन मालिक/किरायेदार को नहीं दिया जाएगा तथा मात्र एक ही कुनैक्शन भवन के असली स्वामी के नाम दिया जाएगा।

ग) ऐसे भवन स्वामी जो किसी भवन में एक मंजिल/फ्लैट अथवा दो मंजिल के मालिक ही है को भी एक ही पानी का कुनैक्शन दिया जाएगा तथा दूसरा कुनैक्शन नहीं दिया जाएगा।

घ). यदि किसी भवन स्वामी द्वारा दो पानी के कुनैक्शन लिए जाने के उपरान्त भवन के किसी भाग/फ्लैट/फ्लोर को बेच दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में बेचने वाले मालिक को एक कुनैक्शन खरीददार के पक्ष में अभ्यर्पण (Surrender) करना होगा, अन्यथा निगम द्वारा उसका एक कुनैक्शन काटकर दूसरे मालिक (खरीददार) के पक्ष में स्वीकृत किया जाएगा।

2). सह-स्वामी के मामले में केवल एक ही कुनैक्शन स्वीकृत किया जाएगा

जब तक उनके द्वारा अलग रहने के प्रमाण के रूप में ऐग्रीमेन्ट डीड और राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किए जाते।

3) व्यक्तिगत फ्लैट धारकों तथा फ्लोर मालिकों को पानी का एक ही कुनैक्शन प्रदान किया जाएगा। क्योंकि वह अकेले ही फ्लैट/फ्लोर के स्वामी है।

4) सभी होटलों जिनमें रैस्टोरेन्टस भी हैं, को आधा ईच ब्यास के एवम कुनैक्शन व्यवसायिक दर पर दिए जाएंगे, यद्यपि होटल में मैनेजर अथवा होटल मालिक का आवास ही क्यों न हो।

5) रैस्टोरेन्ट, ढाबा, दुकानों तथा दूसरे इसी प्रकार के व्यवसायिक संस्थानों को केवल एक आधा ईच ब्यास का पानी का कुनैक्शन व्यवसायिक दर पर दिया जाएगा।

6). दूसरे संस्थान जैसे कार्यालय भवन, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान, इत्यादि दूसरे ऐसे संस्थानों को पानी के कुनैक्शन, संस्थान की आवश्यकता के अनुरूप भवन में रहने वालों की दैनिक व्यवस्था पर निर्धारित होगा तथा पानी के कुनैक्शन का ब्यास उसी के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा।

7). किसी संस्थान जैसे हाउसिंग बोर्ड, सामूहिक भवन जिनका निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, हि.प्र. लोक निर्माण विभाग, ए.जी. आफिस या

दूसरी ऐसी किसी सरकारी एजेंसी, द्वारा किया गया है, को पानी की बल्क के कुनैक्शन व्यवसायिक दर पर दिया जाएगा।

8) किसी भवन में दो पानी के कुनैक्शन दिए जाने की स्थिति में मालिक को पानी का एक ही कुनैक्शन स्वीकृत किया जाएगा।

अनुरूप भवन में रहने वालों की दैनिक व्यवस्था पर निर्धारित होगा तथा पानी के कुनैक्शन का ब्यास उसी के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा।

मांग के अनुरूप पानी का बल्क कुनैक्शन उनकी कुल पानी की मांग के अनुसार उपलब्ध करवाया जाएगा। किसी भी गैर सरकारी निर्माणकर्ता को बल्क मीटर नहीं दिया जाएगा।

8) निर्माण कार्य हेतु भवन स्वामी के नाम एक ही पानी का कुनैक्शन निर्माण दर पर स्वीकृत किया जाएगा चाहे ऐसे भवन में सह-स्वामी ही क्यों न हो। दूसरा कुनैक्शन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक भवन के सम्पूर्ण नक्शे की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर भवन स्वामी द्वारा इस विभाग को प्रस्तुत नहीं की जाती। भवन निर्माण हेतु उपलब्ध करवाए गए कुनैक्शनों को पानी के कुनैक्शनों की स्वीकृति पर लगे प्रतिबन्ध के दौरान अस्थाई तौर पर बन्द कर दिया जाएगा।

9) ठेकेदारों को अवार्ड पत्र तथा सम्बन्धित अधिकारी की सहमति/शपथ पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त एक कुनैक्शन अस्थाई तौर पर निर्माण दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा तथा ऐसे कुनैक्शन को भी पानी के कुनैक्शनों की दर पर स्वीकृत किया जाएगा चाहे ऐसे भवन में सह-स्वामी ही क्यों न हो। स्वीकृति पर लगे प्रतिबन्ध के दौरान अस्थाई तौर पर बन्द कर दिया जाएगा।

10) वर्तमान में व्यवसायिक/निर्माण दर पर प्रदान किए गए पानी के कुनैक्शन को, सम्बन्धित भवन के भवन स्वामी द्वारा आवेदन पत्र के साथ फ्लैट या मंजिल के सम्पूर्ण नक्शे के स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर भी घरेलू दर पर परिवर्तित कर दिया जाता है। उपभोक्ता द्वारा इस आधार पर सत्यापित शपथ पत्र कि वह जब कभी भी निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगा तो निगम को पानी का उपयोग निर्माण कार्य हेतु प्रयोग करने से पहले सूचित कर देगा,

दर देने के बावजूद भी घरेलू दर पर परिवर्तित पानी का उपयोग निर्माण कार्य हेतु किया जा रहा है। अतः भविष्य में व्यवसायिक/निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध करवाए गए पानी के कुनैक्शन को भवन के पूर्णतया सम्पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए सम्पूर्ण नक्शे के प्रदान किए गए पानी के उपरान्त ही घरेलू दर पर परिवर्तित किया जाना ही उचित होगा।

या मंजिल के सम्पूर्ण नक्शे के स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर भी घरेलू दर पर परिवर्तित कर दिया जाता है। उपभोक्ता द्वारा इस आधार पर सत्यापित शपथ पत्र कि वह जब कभी भी निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगा तो निगम को पानी का उपयोग निर्माण कार्य हेतु प्रयोग करने से पहले सूचित कर देगा,

दर देने के बावजूद भी घरेलू दर पर परिवर्तित पानी का उपयोग निर्माण कार्य हेतु किया जा रहा है। अतः भविष्य में व्यवसायिक/निर्माण कार्य हेतु उपलब्ध

11). ऐसे आवेदन जो 1/4/2009 के उपरान्त प्राप्त हुए हैं वे उपरोक्त पालिसी क्रम संख्या 1 से 10 के अनुसार ही स्वीकृत किए जाएंगे तथा उनमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

12). नगर निगम द्वारा वर्तमान में निगम सीमा में नए मिलाए गए कुछ क्षेत्रों में जहां पानी की उपलब्धता कम है, एक दिन छोड़कर पानी वितरित किया जा रहा है। ये क्षेत्र मशोबरा, छराबड़ा, कुफरी, ढली, इन्द्र नगर, हिमगिरि, लम्बीघार बाईपास रोड़, अपर व लोअर समीट्टी, ढिंगू घार, चलौठी, वर्मा कलौनी, भट्टा कुफर, मलयाणा, सांगटी, करैया, सरधीन, मैहली, पंथाघाटी, देव नगर, आंजी, रझाणा, पटियोग, कागनाधार, घोड़ा चौकी, चक्कर, सदल चक्कर, हरि नगर, लोअर खलिनी, भगवती नगर लोअर खलिनी आदि, ऐसे क्षेत्रों में अभी एक कुनैक्शन ही मालिक के नाम स्वीकृत उपलब्ध करवाया जा रहा है। जब तक इन क्षेत्रों में पानी की स्थिति में सुधार नहीं आ पाता तब तक इन क्षेत्रों में पानी के कुनैक्शनों हेतु प्रस्तावित उपरोक्त नीति को लागू कर पाना सम्भव नहीं होगा तथा हर भवन मालिक को केवल एक ही कुनैक्शन उपलब्ध करवाना उचित होगा।

13). उन सभी मामलों को जो 31/3/09 से पहले प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार से डील किया जाएगा जिस प्रकार वे आवेदक द्वारा आवेदन किए गए हैं, चाहे वे मालिक, सह-स्वामी, किरायेदार, फ्लैट मालिक, या उपभोक्ता द्वारा दूसरे कुनैक्शन हेतु आवेदन किया हो।

जैसे कि विद्वित ही है कि नगर निगम शिमला को पानी की समस्या से समय-समय पर जुझना पड़ता है अतैव प्रस्तावित किया जाता है कि नगर निगम सीमा से बाहर के क्षेत्रों में पूर्व में प्रदान किए गए कुनैक्शन के अतिरिक्त पानी के नए कुनैक्शन न दिये जाएं। इन क्षेत्रों में पूर्व में प्रदान किए गए कुनैक्शनों को किसी भी प्रकार से बाधित/वंचित नहीं किया जाएगा। भविष्य में यदि निगम को अतिरिक्त पानी उपलब्ध होता है तो निगम क्षेत्र की पानी की मांग की पूर्ति के उपरान्त निगम सीमा से बाहर के क्षेत्रों में पानी दिए

जाने पर विचार किया जा सकता है। यहां यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि 31.3.2009 से पहले निगम सीमा से बाहर के क्षेत्रों से पानी के कुनैक्शनों हेतु प्राप्त आवेदनों पर सम्बन्धित क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के अनुरूप पानी के कुनैक्शन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।

अतः उपरोक्तानुसार मामला अवलोकनार्थ एवं स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु माननीय सदन के प्रस्ताव संख्या: 3(1) दिनांक 20.5.2009 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिस पर मामले का गहनता से अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया।

जाने पर विचार दिनांक 23/7/2009 को श्री जितेन्द्र चौधरी, पार्सद की अध्यक्षता में पानी के नए कुनैक्शनों को स्वीकृत किए जाने के बारे में निर्धारित कुनैक्शन हेतु बैठक हुई जिसमें, निगम प्रस्ताव संख्या 3(1) दिनांक 20.5.09 पर विभागीय प्रस्तावना में समिति द्वारा कुछ देसदों से निम्नानुसार सुझावों को शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया तथा कुछ अतिरिक्त सुझाव भी प्रस्ताव चर्चा में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव संख्या: 3(1) दिनांक 20.5.2009 के अन्तर्गत क्रम संख्या 1 के स्थान पर समिति की सिफारिश से अध्ययन करने हेतु एक समिति प्रत्येक भवन में मंजिल वार ज्यादा से ज्यादा कुल चार कुनैक्शन ही दिए जाएंगे, जिसमें चारों कुनैक्शन मकान मालिक के नाम अथवा किसानों के नाम (मालिक की सहमति/शपथ पत्र के आधार पर) निम्नलिखित शर्तों पर दिए जाएंगे:-

क) भवन में पानी का कुनैक्शन किसी भी मंजिल की सम्पूर्ण कम्पलीशन के उपरान्त ही दिया जाएगा। सुझावों के फ्रेमवर्क के अन्तर्गत कम्पलीशन पर कोई भी पानी का कुनैक्शन घरेलू दर पर नहीं दिया जाएगा।

ख) जितनी मंजिलों की सम्पूर्ण कम्पलीशन होगी उतने ही कुनैक्शन (कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 4 कुनैक्शन) मालिक अथवा किसानों के नाम दिए जाएंगे। चार से अधिक कुनैक्शन किसी भी सूरत में नहीं दिए जाएंगे चाहे भवन चार से अधिक कितनी भी मंजिलों का क्यों देना हो। जिन भवनों में चार से कम मंजिलें स्वीकृत हैं वहां पर जितनी

जिसमें पानी कुनैक्शन मकान मालिक के नाम अथवा किसानों के नाम (मालिक की सहमति/शपथ पत्र के आधार पर) निम्नलिखित शर्तों पर दिए जाएंगे:-

क) भवन में पानी का कुनैक्शन किसी भी मंजिल की सम्पूर्ण कम्पलीशन के उपरान्त ही दिया जाएगा। सुझावों के फ्रेमवर्क के अन्तर्गत कम्पलीशन पर कोई भी पानी का कुनैक्शन घरेलू दर पर नहीं दिया जाएगा।

मंजिलें स्वीकृत है उतने ही कुनैक्शन मंजिलों की सम्पूर्ण स्वीकृति के आधार पर दिए जाएंगे।

ग) कोई भी पानी का कुनैक्शन पाकिंग फ्लौर अथवा ऐटिक फ्लौर में नहीं दिया जाएगा।

घ) उपरोक्त 'क' में निहित कुनैक्शनों को स्वीकृति तभी दी जाएगी यदि सम्पूर्ण भवन एक ही स्वामी के नाम है। यदि कोई भी फ्लैट अथवा मंजिल उस भवन में बेची जाती है और उस में पानी का कुनैक्शन लगा है तो भवन स्वामी को उस मंजिल में लगा पानी का कुनैक्शन नए मालिक के नाम करवाना होगा अन्यथा नगर निगम उस कुनैक्शन को काट कर नए भवन स्वामी के नाम स्वीकृत करेगा।

ड.) ऐसे भवन स्वामी जो किसी एक मंजिल अथवा फ्लैट के मालिक है को भी कुल मिलाकर एक ही कुनैक्शन दिया जाएगा।

मद संख्या 10 परी विभागीय प्रस्तावना के अतिरिक्तियों की सम्पूर्ण स्वीकृति के

केवल वह कुनैक्शन ही घरेलू दर पर परिवर्तित किया जाएगा जिसमें

उक्त कुनैक्शन की मंजिल अथवा फ्लैट का सम्पूर्ण नक्शा सक्षम अधिकारी द्वारा

पारित किया गया हो तथा मालिक द्वारा पानी का प्रयोग घरेलू उपयोग में ही

किए जाने का सत्यापित पत्र दिया गया होगा है और उस में पानी का

इसके अतिरिक्त समिति द्वारा कुछ और सुझाव भी दिए गए है जोकि प्रस्तावना

में शामिल किए जाने हेतु निम्न प्रकार से हैं:-

1. नए सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में ऐसे भवन जो वर्ष 1979 से पहले के

बने हैं तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा उसमें बिजली के कुनैक्शन

लगे हैं को भी प्रतवारी के प्रमाण पत्र तथा बिजली के कुनैक्शन के आधार पर

केवल एक पानी का कुनैक्शन घरेलू उपयोग हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा।

2. जिन भवनों को नक्शा old line पर पुनः निर्माण कार्य करने के लिए

पारित किया गया है तथा मालिक द्वारा पानी का प्रयोग घरेलू उपयोग में ही

स्वीकृत किया जाएगा उन्हें निर्माण कार्य की अवधि के लिए पानी के घरेलू

कुनैक्शन को निर्माण दर पर परिवर्तित करवाना अनिवार्य होगा। old line पर

किसी का नक्शा स्वीकृत करने से पूर्व वास्तुक योजनाकार, निगम अभियन्ता से

पानी के कुनैक्शन की स्थिति (Status) बारे सूचना लेना सुनिश्चित करेंगे तथा

1. नए सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में ऐसे भवन जो वर्ष 1979 से पहले के

बने हैं तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तथा उसमें बिजली के कुनैक्शन

लगे हैं को भी प्रतवारी के प्रमाण पत्र तथा बिजली के कुनैक्शन के आधार पर

केवल एक पानी का कुनैक्शन घरेलू उपयोग हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा।

2. जिन भवनों को नक्शा old line पर पुनः निर्माण कार्य करने के लिए

प्रस्ताव संख्या:- 4(1)(4) - 29 -

द्वारा:- श्रीमती उषा देवी लखनपाल, पार्षद ।

प्रस्ताव

“ मेरे वार्ड में चक्कर सन्दल, लोअर चक्कर, घोड़ा चौकी क्षेत्र में पीने के पानी का भवन स्वामियों को एक से अधिक कुनैक्शन नहीं दिया जा रहा है । वर्तमान समय में उपरोक्त लिखित क्षेत्रों में पानी निगम के पास सप्लाई हेतु समुचित मात्रा में उपलब्ध है ।

अतः मैं सदन में मेरे क्षेत्र के उक्त स्थानों में एक से अधिक पानी के कुनैक्शनों के प्रतिबन्ध को उठाने हेतु प्रस्ताव इस माह की साधारण बैठक में प्रस्तुत करती हूँ ।

हस्ता०

(उषा देवी लखनपाल), पार्षद

मामला सदन सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है ।

उक्त प्रस्ताव श्रीमती उषा लखनपाल ने प्रस्तुत किया जिसका समर्थन श्री सुरेन्द्र चौहान, पार्षद ने किया । इस सम्बन्ध में सदन ने निर्णय लिया कि जहां पर पानी की स्थिति ठीक है वहां पर कुनैक्शन दे दिये जायें (विशेषकर विकासनगर, ढींगू मन्दिर तथा कामनादेवी आदि क्षेत्रों में) ।

1.

कार्यवृत्तों की पुष्टि ।

नगर निगम शिमला की वर्ष 2010-11 की 11वीं साधारण बैठक जो दिनांक 28.2.2011 को हुई, के कार्यवृत्त पुष्टि से पूर्व श्री महेश्वर चौहान, पार्षद ने अवगत करवाया कि प्रस्ताव संख्या 4(1)(4) के निर्णय में देवनगर व पटयोग क्षेत्र को अंकित नहीं किया गया है जबकि इन क्षेत्रों में भी पानी के कुनैक्शन देने का निर्णय लिया गया था। मा० महापौर ने सदन की सहमति से उक्त प्रस्ताव के निर्णय में देवनगर व पटयोग क्षेत्र को भी अंकित करने के आदेश दिए। अतः निर्णय की तृतीय पंक्ति में विकासनगर व ढींगू मन्दिर के मध्य देवनगर व पटयोग को जोड़ा गया।

सदन द्वारा उक्त संशोधन करने के उपरान्त कार्यवृत्तों की पुष्टि की गई तथा सभापति द्वारा हस्ताक्षरित किये गये।